तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गोपाल / रामदेव	

26/2/21

अधि० आवेदक उपा। प्रार्थी का मुख्य रूप से कथन है कि आराजी ख.नं. 2963/3 रकबा 0.52 है० प्रार्थी के कब्जे स्वामित्व आधिपत्य खातेदारी की भूमि है जो कस्बा रोडावतसिंह में स्थित है। प्रार्थी की उक्त आराजी में मौके पर सुगमतम रास्ता आराजी ख.नं. 3111 रकबा 0.19 है० गै.मु.रास्ता में होकर आगे ख.नं. 2958 गै.मु.आबादी में होकर आगे अप्रार्थी की खातेदारी की आराजी ख.नं. 2957 रकबा 1.25 है० में होकर आगे अप्रार्थीया नं. 2 की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 2962 रकबा 0.62 है०, 2963/4 रकबा 0.01 है० व 2963/3 रकबा 0.52 है० में प्रार्थी आता जाता है प्रार्थी की आराजी में उक्त रास्ते के अलावा मौके पर कोई सुगम रास्ता उपलब्ध नहीं है मौके पर इसी रास्ते से होकर आराजी ख.नं. 2961, 2960 के खातेदार भी आते जाते है ख.नं. 2960 तक मौके पर रास्ता बना हुआ है प्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजी को बिना रास्ते के काश्त करने से महरूम हो गया इसलिए प्रार्थी आ.ख.नं. 2957 में लगभग 0.03 है०, 2962 में लगभग 0.03 है० कुल 0.06 है० गै.मु. रास्ता कायम करवाने का अधिकारी है अतः प्रार्थी ने डी एल सी दर से राशि भी अदा कर प्रार्थी की खातेदारी की आ.ख.नं. 2963/3 रकबा 0.52 है० वाके ग्राम रोडावतसिंह में आने जाने हेतु अप्रार्थी के खातेदारी के आ.ख.नं. 2957 रकबा 1.25 है० में होकर आगे अप्रार्थीया नं. 2 की खातेदारी की आराजी ख.नं. 2962 रकबा 0.62 है०, ख.नं. 2963/4 रकबा 0.01 है० वाके ग्राम

Ruby

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज

शेडाएयीसिंह में होकर आराजी ख.नं. 2957 में लगभग 0.03 है० व ख.नं. 2962 में लगभग 0.03 है० कुल 0.06 है० गै.मु. रास्ता कायम किया जावे। उक्त रास्ते की भूमि अप्रार्थीगण की भूमि में से कम कर राजस्व रिकार्ड में रास्ता कायम किया जावे। रास्ते की नक्शा शीट में तरमीम की जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर तलबी अप्रार्थीगण की गई तथा चाहे गये रास्ते बाबत मौके की वस्तुस्थिति की औचित्यपूर्ण तहसीलदार से मंगवाई गई। रिपोर्ट प्राप्त होने शामिल की गई।

अप्रार्थी नं. 1, 2 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर पेश किया है। एलन्टी रोड से रास्ता मौके पर होने के कारण प्रार्थनापत्र 251 (अ) न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। वास्तविक स्थिति यह है कि प्रार्थी ने पूर्व में अपने खातेदारी की आराजी ख.नं. 2963/3 रकबा 0.52 है० वाके कस्बा येडाएयीसिंह में आने जाने हेतु रास्ता चाहे जाने पर उनवान प्रकरण गोपाल बनाम सुखलाल बगैरा प्रार्थना पत्र सं. 751/2018 प्रस्तुत किया गया था उसके साथ संलग्न नजरी नक्शे भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किए गये। जिसमें प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में आने जाने का मूल ख.नं. 2963 रकबा 1.55 है० जो प्रार्थी व उसके भाई सुखलाल व बालू द्वारा खरीद कर बताई गई है जिसमें प्रचलित रास्ता ख.नं. 3105 गै.मु. रास्ते से ख.नं. 3092 व 2975, 2976 व 2968 संलग्न नजरी नक्शा जवाब प्रार्थना पत्र से प्रार्थी के भाई

Ruby

सुखलाल के खेत का रास्ता परम्परागत मौके पर है खसरा नम्बर 2963। जो प्रार्थी के भाई सुखलाल की खातेदारी में है तक रास्ता मौके पर है जिसके फोटोग्राफ भी जवाब के अभिन्न अंग हैं, से प्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजियात में आता जाता रहकर फसल काश्त कर रहा है प्रार्थी के नजरी नक्शे उनवानी गोपाल बनाम सुखलाल से पूर्ण रूप से पुष्टि होती है। प्रार्थी का अप्रार्थी की आराजियात ख. नं. 2957, 2962 से कभी भी रास्ता नहीं रहा है इसलिए पूर्व से ही प्रार्थी को रास्ते का विकल्प उपलब्ध होने व आने जाने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में कतई चलने योग्य नहीं है प्रार्थी उनवानी प्रकरण गोपाल बनाम सुखलाल में प्रस्तुत नजरी नक्शे में दर्शित रास्ते से पाबन्द है व जवाब के साथ संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित रास्ते से ही पूर्व में रास्ते का अनुतोष चाहा था व आराजी ख. नं. 2958 गै० मु० आबादी जो नगरपालिका रेडारायसिंह के नाम खातेदारी में दर्ज है को पक्षकार बनाये बिना व उनको सुने बिना रास्ते का अनुतोष दिया जाना कानूनी मंशा नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। नये रास्ते के मामले में धारा 251-ए में विहित प्रावधान पारस्परिक सहमति व आत्यान्तिक आवश्यकता का अभाव है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र धारा 251 (A) कानूनन मंजूर योग्य नहीं है। उक्त आराजियात में आने जाने बाबत उनवानी प्रकरण गोपाल बनाम सुखलाल में प्रार्थना पत्र धारा 251 (A) में दिनांक 20.10.2020 को निरस्त किया जा चुका है व निरस्त बाबत प्रार्थी को अपील के प्रावधान उपलब्ध है। इसलिए प्रार्थी पूर्व निरस्त प्रार्थना पत्र अनुतोष अन्य खातेदारों से रास्ते बाबत मांगने का कानूनी अधिकारी नहीं है अत: प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावे।

बहस अभि० अध्यक्ष सुनी गई। जो मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र एवं जवाब के अनुसार रही।

Ruby

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा, जमाबंदी सम्वत 2073-76 खाता सं. 356, 1814, 865, 1433, 5, 658, 882, आदेश उनवानी प्रकरण सं. 751/2018 गोपाल बनाम सुखलाल दि. 20/10/2020, पूर्व प्रार्थनापत्र गोपाल बनाम सुखलाल अन्तर्गत धारा 251(A) RTA, पूर्व प्रकरण में प्राप्त रिपोर्ट तहसीलदार, पटवारी हल्का, नक्शा, पूर्व प्रकरण में प्रार्थी गोपाल द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा, फोटोग्राफ का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात पूर्व प्रकरण में प्रस्तुत नक्शे व जवाब के साथ नक्शे, फोटोग्राफ से स्पष्ट जाहिर है कि प्रार्थी की आराजियात में आने जाने का रास्ता कुल ख. नं. 2963 रकबा 1.55 है जो प्रार्थी व उसके सगे भाई सुखलाल व कालू द्वारा खरीद कर बनाई बताई है जिसमें प्रचलित रास्ता खसरा नम्बर 3105 गैर मुमकिन रास्ते से खसरा नम्बर 3092 व 2975, 2976 व 2968 संलग्न नजरी नक्शा जवाब प्रार्थना पत्र से प्रार्थी के भाई सुखलाल के खेत का रास्ता परम्परागत मौके पर है। खसरा नम्बर 2963।जो प्रार्थी के भाई सुखलाल की खातेदारी में है तक मौके पर रास्ता है। जो कि पत्रावली पर उपलब्ध फोटोग्राफ से बखूबी प्रमाणित है। प्रार्थी द्वारा पूर्व प्रकरण गोपाल बनाम सुखलाल में प्रस्तुत नजरी नक्शे से भी उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि होती है। ख. नं. 2958 गै. मु. आबादी जो नगरपालिका टोडारायसिंह के नाम दर्ज है नगरपालिका को पक्षकार नहीं बनाया गया है मौके पर परम्परागत प्रचलित रास्ता होना जाहिर है। उसके अलावा प्रार्थी रास्ता चाहता है जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत

[illegible signature]

मील क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज (5)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

धारा 251(A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम संधारणीय नहीं होने के फलस्वरूप खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। हुक्म आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Ruby
उपखण्ड अधिकारी
टोडारायसिंह (टोंक)